न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व अपील:: 54 / 2018 ::

जीसीएमएस नम्बर :: 2018 / 00433

अपीलांट :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
मैसर्स रामगोपाल सीमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी, पता : 10ए, अमर विजय कॉम्पलेक्स, होटल मानसिंह के पास, संसारचंद रोड, जयपुर (राज.) जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री जयसिंह राठौड़ पुत्र श्री महावीरसिंहजी राठौड, जाति राजपूत, निवासी बी.जे.एस. कॉलोनी, जोधपुर, हाल निवासी : 10ए, अमर विजय कॉम्पलेक्स, होटल मानसिंह के पास, संसारचंद रोड, जयपुर (राज.)		1. श्रीमती गंगादेवी पत्नी धनाराम 2. श्रीमती सीतादेवी पुत्री धनाराम 3. खंगार पुत्र धनाराम जातिगण राईका, निवासीगण सिनला, तहसील जैतारण, जिला पाली(राज.) 4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, जैतारण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद शरीफ काजी

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 25/2/21

अपीलांट की और से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 तहसीलदार जैतारण द्वारा पारित आदेश क्रमांक राजस्व / प्र.आ.द्वा. / 04 / 70 दिनांक 16.12.2004 के विरूद्ध पेश की गई है जो म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमीटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश की गई है तथा जैर अपील आदेश की प्रमाणित प्रति पेश नहीं करने पर एक शपथ पत्र पेश किया जैर अपील आदेश नकल नहीं मिलने से उसके अभाव में प्रकरण पेश किया जा रहा है अपील अपीलांट सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्शन एवं सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पाडेंट को जरिये नोटिस एवं जैर अपील रेकर्ड तलब किया गया।

जैर अपील रेकर्ड प्राप्त हुआ उसके जैर अपील आदेश क्रमांक राजस्व / प्र.आ. द्वा. / 04 / 70 दिनांक 16.12.04 संलग्न है। जिसमें वकील अपीलांट का कथन है कि उन्हें प्रथम बार जानकारी रेस्पोडेंटगण 29.04.2018 को रेस्पोडेंट खनिज क्षेत्र पर आये व भूमी बेचाण की बात की तो उन्होंने खनन क्षेत्र आवंटित होना बताया तो रेस्पोडेंटगण ने कहा कि उन्हें खातेदारी अधिकार खंगार के प्राप्त हो गए है। यह हमारे स्वामित्व की भूमी है। तब अपीलांट तहसील में गए तथा नकलों हेतु आवेदन किए जो फाइल कर दिया गया तथा नकले नहीं मिलने से उक्त आवेदन दिनांक 05.05.2018 को खारिज किया तो इस प्रार्थना पत्र की नकलें ली एवं 25.05.2018 को पत्रावली कम्पनी के विधी भाग से दिनांक 1.09.2018 को प्राप्त होने पर यह अपील पेश की गई जिसे जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरमावे। अपील में कानूनी तथ्यात्मक बिन्दु इनवोल्व होने के कारण मैरिट पर सुना जावे।

रेस्पोडेंट को खनन क्षेत्र में भूमी के खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए है। खसरा नम्बर 439 में 10 बीघा भूमी खंगार पुत्र श्री धना को आवंटन होने के बाद 29.04.1976 को वह जरिये नामान्तरकरण 205 के गैर खातेदारी दर्ज हुआ तथा जमाबंदी संवत 2059–62 तक गैर खातेदार दर्ज रहा तथा रेस्पोडेंट को प्रशासन गांवों के संग अभियान में तहसीलदार जैतारण द्वारा जैर अपील आदेश क्रमांक राजस्व / प्र.आ.द्वा. / 04 / 70 दिनांक 16.12.04 के द्वारा खातेदारी अधिकार दिए गए है। आवंटित क्षेत्र खनिज हेतु अपीलांट फर्म को आवंटित है तथा उसके खातेदारी अधिकार दिए गए जो कानूनन सही नहीं होने से निरस्त योग्य है। प्रार्थी फर्म खनन पट्‌टा होल्डर है तथा उक्त खनन क्षेत्र की आराजी को 17.06.2011 में जरिये रजिस्ट्री के क्रय सुदा है रेस्पोडेंट संख्या 4 द्वारा खंगार से दुरभी संधी कर कपट दुर्व्यपदेश से खातेदारी अधिकार प्राप्त किए है जो निरस्त योग्य है। खनन क्षेत्र में खातेदारी अधिकार देने का अधिकार तहसीलदार को था ही नहीं। रेस्पोडेंटगण का मौके पर कब्जा नहीं है। न ही मौके पर कृषि कार्य किया जाता है। तह[illegible] द्वारा खातेदारी अधिकार देने से पूर्व अपीलांट को नोटिस नहीं दिया अथवा [illegible] प्राप्त नहीं की गई राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 17.01.20[illegible] क्षेत्र में आवटन एवं नियमन नहीं किया जा सकता है। [illegible] द्वारा कभी भी आवं[illegible]रा नंबर 439 / 8 पर काश्त नहीं की गई न हीं क[illegible] रहा खनन क्षेत्र हेतु [illegible] भूमी का स्वामित्व राज्य सरकार में निहित होता है। आवंटित भूमी के आस पास [illegible] लीज क्षेत्र हैं जो नक्शे से स्पष्ट है। उक्त सभी कारणों से रेस्पोडेंटगण को जैर अपील आदेश से दिए गए खातेदारी अधिकार निरस्त किए जावे।

जिला कलेक्टर, पाली

क्रमश...........2

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:14:41 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेंटगण बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से बहस अधिवक्ता अपीलांट सुनी गई।

बहस सुनी गई। पत्रावली एवं तहसीलदार जैतारण से प्राप्त रेकर्ड का अवलोकन किया गया। रेस्पोडेंटगण के पिता को कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन 24.04.1976 को हुआ था जो जरिये नामान्तरकरण संख्या 205/24.04.1976 के गैर खातेदार दर्ज हुआ उस समय अपीलांट या उसके पूर्ववृती लीज होल्डर को लीज हेतु जैर अपील भूमी नहीं दी गई थी। प्रथम विक्रेता को लीज अति निदेशक जोधपुर खान के आदेश क्रमांक अतिख./जोध./सीसी/95-96/187 दिनांक 05.05.1995 के खनन पट्टा मिश्रीलाल जैतारण को जारी किया गया था। तथा तहसीलदार जैतारण द्वारा प्र.आ.द्वा. अभियान के दिनांक 16.12.2004 के खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए है जिसको धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत निरस्त नहीं किया जा सकता है खातेदारी अधिकार निरस्त करने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है। प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में उक्त धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में मेनटेनेबल ही नहीं है। गैर खातेदार से खातदारी अधिकार तहसीलदार द्वारा आंवटन शर्तों की पालना करने के उपरांत ही किए जाते है। 17.01.2002 से भू आवंटन पर रोक है रेस्पोडेंट को भूआवंटन 24.04.1976 को हो चुका था तथा मूल आवंटन को खारिज किए बगैर खातेदारी अधिकार देने के आदेश में किसी प्रकार का कपटपूर्ण गलत प्रस्तुतीकरण, अथवा शर्तो की पालना नहीं किया जाना सिद्ध नहीं होती है। जहां तक खनन अधिकारों की बात है प्रार्थी लीज के अनुसार भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है।

जहां तक म्याद का प्रश्न है यह अपील जानकारी से अन्दर म्याद पेश करने का उल्लेख किया है जिसकी जानकारी प्रथम बार 29.04.2018 को होना उल्लेखित किया हैं। नकल प्राप्त होने के पश्चात कम्पनी में विधी विभाग के भेजा गया वहां से पत्रावली 01.09.2018 को प्राप्त होने का भी उल्लेख है। तथा 05.11.2018 को अपील पेश की गई है। अन्तिम बार विधि विभाग से प्रकरण पत्रावली 01.09.2018 को प्राप्त हुई। अन्तिम नकल 01.09.2018 को प्राप्त होने का उल्लेख अपीलांट द्वारा धारा 5 म्याद अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में किया है फिर भी यह अपील 05.11.2018 को पेश की गई है। इस प्रकार 2 माह के अन्तराल बाद पेश करने का युक्तियुक्त कारण भी स्पष्ट नहीं किया है। ऐसी स्थिति में भी यह अपील अपीलांट म्याद के बिन्दु पर भी खारिज योग्य है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 25/2/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

Ansh

(अंश दीप)

जिला कलेक्टर, पाली

जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:14:41 IST
Reason: SelfAttested